# कानूनी अध्ययन (074)
# अंक योजना
# 2025-26

| प्र.सं. | प्रश्न | अंक |
|---|---|---|
| | **खण्ड – अ** | |
| 1 | **उत्तर- B.**<br>अदालत ने जनहित में लोकस स्टैंडी की अवधारणा का विस्तार किया | 1 |
| 2 | **उत्तर- C.**<br>बंधक अनुबंध अमान्य है और मिहिर, भव्य को दिया गया धन वापस नहीं पा सकेगा। | 1 |
| 3 | **उत्तर- B.**<br>a (ii); b (iv); c (i); d (iii) | 1 |
| 4 | **उत्तर- D.**<br>कंसेंसस ऐड इडेम (consensus ad idem) | 1 |
| 5 | **उत्तर- B.**<br>पट्टा (Lease) | 1 |
| 6 | **उत्तर- C.**<br>(A) सत्य है, (R) असत्य है। | 1 |
| 7 | **उत्तर- B.**<br>B. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है | 1 |
| 8 | **उत्तर- A.**<br>चमन निर्वाचन के सिद्धांत के कारण दस लाख रुपये के उपहार से वंचित हो जाता है। | 1 |
| 9 | **उत्तर- B.**<br>भारत में पारंपरिक ADR तकनीकें अंग्रेज़ी शैली की अदालतों की स्थापना से पहले ही अस्तित्व में थीं। | 1 |
| 10 | **उत्तर- B.**<br>नामांतरण (Mutation) | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | **उत्तर- B.**<br>अखंडता का अधिकार (Right of Integrity) | 1 |
| 12 | **उत्तर- C.**<br>छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना उनके माता-पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है। | 1 |
| 13 | **उत्तर- C.**<br>उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा मामले के निपटारे की प्रतीक्षा करनी होगी। | 1 |
| 14 | **उत्तर- A.**<br>यह सुनिश्चित करना कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधि को उचित प्राधिकरण प्राप्त था। | 1 |
| 15 | **उत्तर- C.**<br>ICC केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकता है जहाँ आरोपी और पीड़ित दोनों हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के नागरिक हों। | 1 |
| 16 | **उत्तर- A.**<br>सुश्री हज़रा ने पटना उच्च न्यायालय में महिलाओं को अधिवक्ता (वकील) के रूप में पेश होने की अनुमति के लिए संघर्ष किया, उस प्रतिबंध को चुनौती दी जो केवल पुरुषों को ही विधिक अभ्यास की अनुमति देता था। | 1 |
| 17 | **उत्तर- B.**<br>एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को हमेशा मामला दायर करना होता है, जबकि सीनियर एडवोकेट केवल उस पर बहस कर सकते हैं। | 1 |
| 18 | **उत्तर- C.**<br>अनुच्छेद 39(क)(जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह गरीबों को न्याय तक समान अवसर प्रदान करने के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करे।) | 1 |
| 19 | **उत्तर- A.**<br>नहीं, क्योंकि महिलाओं को उनके आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। | 1 |
| 20 | **उत्तर- C.**<br>अदालत को समझौते की शर्तें तय करनी चाहिए और उन्हें पक्षकारों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना चाहिए; फिर आवश्यक हो तो संभावित समझौते की शर्तों को पुनः स्वरूपित कर सकती है। | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | **खण्ड – ब** | |
| 21A | **उत्तर**.<br>महाभियोग के आधार होते हैं — सिद्ध दुराचार (proven misbehavior) या असमर्थता (incapacity)।<br>महाभियोग प्रस्ताव के लिए आवश्यक है:<br>i. संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, और<br>ii. प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत। | 1+1 |
| | **अथवा** | |
| 21B | **उत्तर**.<br>अनुच्छेद 131 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) का प्रयोग उन विवादों के निपटारे के लिए करता है, जो सीधे उसके समक्ष दायर किए जाते हैं, और जो मुख्यतः निम्नलिखित पक्षों के बीच होते हैं:<br>(a) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच;<br>(b) भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की एक ओर तथा एक या अधिक अन्य राज्यों की दूसरी ओर;<br>(c) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच।<br>यह भिन्न है:<br>अपील क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है।<br>परामर्श क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) से भी, जिसमें राष्ट्रपति संविधान संबंधी या जनमहत्त्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से राय माँगते हैं। | 1+<br>0.5+<br>0.5 |
| 22 | **उत्तर**.<br>**i.** न्यायालय को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से ऐसा बयान देने की उपयुक्त स्थिति में था, और उसने अपने हमलावरों को स्पष्ट रूप से देखने और पहचानने का अवसर प्राप्त किया था, तथा उसने कोई बाहरी दबाव या प्रभाव के बिना यह बयान दिया था।<br>**ii.** यदि मृत्युपूर्व कथन (Dying Declaration) स्पष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय हो तथा स्वेच्छा से दिया गया प्रतीत हो, तो उस पर विश्वास करके दोष सिद्ध किया जा सकता है, भले ही कोई पुष्टिकरण (corroboration) न हो।<br>**iii.** एक मृत्युपूर्व कथन, जिसे सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा ठीक प्रकार से प्रश्नोत्तर के रूप में और यथासंभव कथनकर्ता के अपने शब्दों में रिकॉर्ड किया गया हो, विश्वसनीय माना जाता है। | 1+1 |

| | | |
|---|---|---|
| 23A. | **उत्तर.**<br>लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्तों के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:<br>लोकपाल: प्रधानमंत्री, सांसदों तथा प्रशासन के समूह 'A', 'B', 'C' और 'D' के अधिकारियों सहित लोक सेवकों के विरुद्ध रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है।<br>लोकायुक्त: राज्य स्तर पर इसी प्रकार की भूमिका निभाते हैं, अर्थात् राज्य के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करते हैं।<br>दोनों संस्थाओं का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। | 1+1 |
| | **अथवा** | |
| 23B | **उत्तर.**<br>लोक अदालतें भारत में त्वरित और कम लागत में विवाद निपटान को निम्नलिखित तरीकों से सुनिश्चित करती हैं:<br>• कोई न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता, और यदि मामला पहले से ही किसी नियमित न्यायालय में दायर है, तो लोक अदालत में विवाद सुलझने पर भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाता है।<br>• प्रक्रियात्मक कानूनों का कठोर अनुपालन नहीं किया जाता और पक्षकार सीधे न्यायाधीशों से संवाद कर सकते हैं। लोक अदालत का निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है, और उसका आदेश कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है। | |
| 24 | **उत्तर.**<br>एनसीपीसीआर – राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग<br>यह आयोग शिकायतों की जांच कर सकता है और साथ ही निम्नलिखित मामलों में स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) भी ले सकता है:<br>1. बच्चों के अधिकारों से वंचित करने या उनके उल्लंघन से संबंधित मामले।<br>2. बच्चों के संरक्षण और विकास से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन में असफलता।<br>3. बच्चों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने तथा उनके कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए नीति निर्णयों, दिशा-निर्देशों या आदेशों के पालन में चूक, तथा ऐसे बच्चों को राहत देने या ऐसे मामलों से उत्पन्न मुद्दों को संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष उठाने के लिए।<br>कोई भी दो उल्लेख करें। | 1+<br>0.5+<br>0.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 25A | **उत्तर.**<br><br>(1) राज्यों द्वारा निरंतर और सामान्य अंतरराष्ट्रीय प्रथा – यह समय के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा समान प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कार्यों की व्यापक पुनरावृत्ति है (जिसे राज्य प्रथा कहा जाता है)।<br><br>और<br><br>(2) अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा उस प्रथा को विधि के रूप में स्वीकार करना – यह आवश्यकता कि वे कार्य कर्तव्य की भावना से किए जाएं (ओपिनियो ज्यूरिस)। | 1+1 |
| | **अथवा** | |
| 25B | **उत्तर.**<br>I. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के विधान के अनुच्छेद 59 का आशय यह है कि न्यायालय के निर्णय उन पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होते जो किसी विशेष मामले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं।<br>II. निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव केवल विवाद में शामिल पक्षों तक सीमित होता है और यह केवल उस विशेष मामले पर ही लागू होता है। | 1+1 |
| 26 | **उत्तर.**<br><br>केवल अभिजात वर्ग के मंच से मानवाधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और मानवाधिकारों को सार्थक बनाने के लिए विधिक सहायता (Legal Aid) अनिवार्य हो जाती है।<br><br>वे मानवाधिकार, जिन्हें गरीबी के कारण लागू नहीं किया जा सकता, निरर्थक और मूल्यहीन हैं। न्याय तक पहुंच का अधिकार सामाजिक न्याय के लिए अत्यावश्यक (sine qua non) है।<br><br>वास्तव में, गरीबी न्याय प्राप्त करने के मार्ग में एक बाधा है, और इसी कारण गरीब व्यक्ति सामाजिक अन्याय का शिकार बनता है।<br><br>विधिक सहायता वास्तव में मानवाधिकारों का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए तत्काल विचार आवश्यक है, अन्यथा यह आशंका बनी रहती है कि किसी दिन गरीबों का धैर्य समाप्त हो सकता है, और यह स्थिति विश्व शांति के लिए खतरा बन सकती है। | 0.5*4 |

| | | |
|---|---|---|
| | **खंड – स** | |
| 27A | **उत्तर.**<br>न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से महत्वपूर्ण लाभ होंगे।<br>• वरिष्ठ कार्यरत न्यायाधीश अपने साथ वर्षों का अनुभव लेकर आएंगे। इससे अनुभवी न्यायाधीशों की एक मजबूत प्रतिभा-संपन्न टीम की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित होगी।<br>• नए न्यायाधीशों की नियुक्ति बिना मौजूदा न्यायाधीशों को हटाए की जा सकेगी।<br>• यह लंबित मामलों की बढ़ती संख्या की समस्या को संबोधित करेगा। साथ ही यह संभावित मुकदमों की भारी संख्या के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगा।<br>• यह सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को कम आकर्षक बनाएगा और इसके परिणामस्वरूप कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करेगा, जो कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। | 1*4 |
| | **अथवा** | |
| 27B | **उत्तर.**<br>**(i) केंद्र-राज्य संबंध**<br>न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का उपयोग केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित विधानिक अधिकार-क्षेत्र (Legislative Competence) के मामलों में भी किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 246 यह प्रावधान करता है कि संसद को 'संघ सूची' (सातवीं अनुसूची की सूची-I) में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान करता है कि संसद और किसी राज्य की विधानमंडल दोनों को 'समवर्ती सूची' (सातवीं अनुसूची की सूची-III) में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।<br>जहाँ तक राज्यों का प्रश्न है, यह अनुच्छेद यह भी प्रावधान करता है कि राज्य की विधानमंडल को 'राज्य सूची' (सातवीं अनुसूची की सूची-II) में सूचीबद्ध विषयों पर विशेषाधिकार से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।<br>यह अनुच्छेद विधि निर्माण शक्तियों का स्पष्ट विभाजन प्रदान करता है (शक्ति का विभाजन), साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच कुछ हद तक विषयों के ओवरलैप की संभावना भी रखता है।<br>न्यायिक पुनरावलोकन विधानिक अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं को चिन्हित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र राज्य के विषयों पर अपनी सर्वोच्चता का अनुचित प्रयोग न करे और इसी तरह राज्य भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। | 2+2 |

| | | |
|---|---|---|
| | **(ii) कार्यपालिका की कार्रवाई में निष्पक्षता**<br><br>कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्रवाइयों के मामलों में, न्यायालयों ने न्यायिक पुनरावलोकन के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice), युक्तिसंगतता (कारणableness), अनुपातिकता (Proportionality) और वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) जैसे सिद्धांतों का प्रयोग किया है।<br><br>एक लैटिन वाक्यांश "audi alteram partem" है, जिसका अर्थ होता है — "दूसरे पक्ष को भी सुनो"। यह वाक्यांश भारतीय विधिक प्रणाली में एक स्थापित सिद्धांत है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनेक मामलों में लागू किया गया है।<br><br>Maneka Gandhi बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में, न्यायालय ने यह सिद्धांत अपनाया कि जहाँ शीघ्रता की स्थिति में पूर्व-श्रवण (prior hearing) संभव न हो, वहाँ निर्णय के बाद श्रवण (post-decisional hearing) दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी माना कि किसी व्यक्ति को सुने जाने के अधिकार से पूर्णतः वंचित नहीं किया जा सकता। | |
| 28. | **उत्तर.**<br><br>(I) अंतरराष्ट्रीय कानून नियमों और सिद्धांतों की एक रूपरेखा है जो राष्ट्रों के बीच संबंधों को बाध्य करती है, उनके बीच और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य देशों के नागरिकों के साथ उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह देशों के बीच संधियों और समझौतों की एक प्रणाली है जो यह निर्धारित करती है कि राष्ट्र अन्य राष्ट्रों, अन्य देशों के नागरिकों और व्यवसायों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। | 1+1+<br>1+1 |

| सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून<br>(Public International Law) | निजी अंतरराष्ट्रीय कानून<br>(Private International Law) |
|---|---|
| यह नियमों का ऐसा समूह है जो राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है और सरकारों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करता है। | यह ऐसे नियमों और विनियमों का समूह है जिन्हें विभिन्न देशों के निजी नागरिकों द्वारा पारस्परिक लेन-देन में स्वीकार किया गया है, और यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो वही नियम उन्हें नियंत्रित करते हैं। |

(II) सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून
निजी अंतरराष्ट्रीय कानून

| | | |
|---|---|---|
| 29A | **उत्तर.**<br>स्थायी लोक अदालतों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत की गई थी ताकि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों को पूर्व-विवाद स्तर (pre-litigation stage) पर सुलझाया जा सके।<br>स्थायी लोक अदालत सुलह की कार्यवाही के दौरान पक्षकारों को विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है। यदि पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर लेते हैं, तो वे समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और स्थायी लोक अदालत उस समझौते के अनुसार निर्णय (award) देती है। यदि पक्षकार आपसी सहमति तक नहीं पहुँचते, तो स्थायी लोक अदालत स्वयं विवाद का निपटारा करती है।<br><table><tr><td>लोक अदालत</td><td>स्थायी लोक अदालत</td></tr><tr><td>विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित अस्थायी निकाय।</td><td>विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित स्थायी निकाय।</td></tr><tr><td>दीवानी और आपराधिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित विवादों को सुलझाती है।</td><td>सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों को पूर्व-विवाद स्तर पर सुलझाने पर केंद्रित रहती है।</td></tr></table> | 1+2<br>+1 |
| | **अथवा** | |
| 29B | **उत्तर.**<br>विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के प्रावधान को पूरा करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित नहीं किया जाए। इस अधिनियम के माध्यम से पूरे देश में विधिक सहायता कार्यक्रमों को एक समान रूपरेखा में वैधानिक आधार प्रदान किया गया।<br>---<br>**I. इस अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य:**<br>1. अनुच्छेद 39A सभी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता और न्याय तक पहुँच पर बल देता है।<br>2. अनुच्छेद 14 और 21 कानून के समक्ष समानता और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, जिनमें न्याय तक पहुँच भी शामिल है।<br>3. आर्थिक असमानताएँ और विधिक जागरूकता की कमी के कारण हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए न्यायिक प्रणाली तक पहुँच एक बड़ी बाधा बन गई थी।<br>--- | 2+2 |

| | | |
|---|---|---|
| | **II. न्याय तक पहुँच को बढ़ावा देना:**<br>i. समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना ताकि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए।<br>ii. लोक अदालतों का आयोजन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। | |
| 30. | **उत्तर.**<br>यह एक सशर्त अनुबंध (Contingent Contract) का उदाहरण है, जहाँ अनुबंध की पूर्ति भविष्य की अनिश्चित घटना पर निर्भर करती है। चूंकि शर्त (नेहा द्वारा ऋण प्राप्त करना) पूरी नहीं हुई, इसलिए रोहित पर कार बेचने की कोई बाध्यता नहीं बनती। सशर्त अनुबंध वैध होते हैं।<br>एम्बर कानूनी रूप से स्मार्टफोन प्राप्त नहीं कर सकता और न ही उन्हें बेच सकता है, जिससे यह अनुबंध अमल योग्य (unenforceable) नहीं रह जाता। कानून द्वारा इन वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने के कारण यह अनुबंध शून्य (void) हो गया है।<br>यदि किसी अनुबंध की पूर्ति कानून में परिवर्तन या सरकारी नीति में बदलाव के कारण असंभव हो जाती है, तो वह अनुबंध शून्य हो जाता है और उस पर अमल नहीं किया जा सकता। | 2+2 |
| 31A | **उत्तर.**<br>1. विदेशी मध्यस्थता (Foreign Arbitration)<br>○ यह विवाद एक भारतीय कंपनी और सिंगापुर स्थित एक आपूर्तिकर्ता के बीच है, जिसकी मध्यस्थता सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) के नियमों के तहत की जा रही है। यह विदेशी मध्यस्थता का उदाहरण है, क्योंकि यह प्रक्रिया एक विदेशी संस्था (SIAC) के अंतर्गत संचालित हो रही है और इसमें उन नियमों का पालन किया जा रहा है जो भारतीय मध्यस्थता मानकों से भिन्न हो सकते हैं।<br>2. अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (International Commercial Arbitration)<br>○ इस मामले में, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एक भारत में और दूसरी यूनाइटेड किंगडम में स्थित) के बीच उत्पन्न विवाद को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (ICC) मध्यस्थता का संचालन कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का उदाहरण है क्योंकि यह विवाद विभिन्न देशों की पार्टियों के बीच व्यावसायिक हितों से संबंधित है। | 2+2 |

| | | |
|---|---|---|
| | **अथवा** | |
| 31B | **उत्तर.**<br>1. सुविधाकारी मध्यस्थता (Facilitative Mediation)<br>सुविधाकारी मध्यस्थ आमतौर पर न तो किसी मामले का मूल्यांकन करते हैं और न ही पक्षों को किसी विशेष समझौते की दिशा में निर्देशित करते हैं। इसके बजाय, सुविधाकारी मध्यस्थ बातचीत को सुगम बनाने का कार्य करते हैं। सुविधाकारी मध्यस्थता सत्र के दौरान, विवाद में शामिल पक्ष यह तय करते हैं कि क्या चर्चा होगी और उनके मुद्दों को कैसे सुलझाया जाएगा। सुविधाकारी मध्यस्थ का ध्यान पक्षों को उनके विवाद के समाधान तक पहुँचाने में मदद करने पर होता है। वे चर्चा के लिए एक संरचना और कार्यसूची (एजेंडा) भी प्रदान करते हैं।<br>2. परिवर्तनकारी मध्यस्थता (Transformative Mediation)<br>एक सक्षम परिवर्तनकारी मध्यस्थ बातचीत के सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि संवाद में सशक्तिकरण और मान्यता (recognition) के अवसरों की पहचान करना और जब ऐसे अवसर उभरते हैं, तो उस पर इस प्रकार प्रतिक्रिया देना कि पक्षों को यह निर्णय लेने का अवसर मिले कि वे उनके साथ क्या करना चाहते हैं। यह तरीका संवाद को केवल समाधान तक सीमित नहीं करता, बल्कि पक्षों की समझ, आत्मनिर्भरता और परस्पर सम्मान को बढ़ाने पर बल देता है। | 2+2 |
| 32. | **उत्तर.**<br> <br> <br>**चित्र A –** (आक्रमण) **चित्र B —** (शारीरिक प्रहार)<br>यहां "Assault" (आक्रमण) और "Battery" (शारीरिक प्रहार) के बीच अंतर को हिन्दी में सारणीबद्ध रूप में अनूदित किया गया है: | 2+2 |

| क्र.सं. | आधार | आक्रमण (Assault) | शारीरिक प्रहार (Battery) |
|---|---|---|---|
| 1. | अर्थ | जब प्रतिवादी, वादी के मन में एक निकट भविष्य में होने वाले नुकसानदायक या अपमानजनक स्पर्श की उचित आशंका (डर या चिंता) उत्पन्न करता है, तो इसे आक्रमण (Assault) कहा जाता है। | जब प्रतिवादी जानबूझकर और सीधे शारीरिक बल का प्रयोग करता है जिससे वादी को हानि या अपमान का अनुभव हो, तो इसे शारीरिक प्रहार (Battery) कहा जाता है। |
| 2. | शारीरिक संपर्क की आवश्यकता | इसमें शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती; यह पीड़ित के निकट संभावित नुकसान के डर पर आधारित होता है। | इसमें पीड़ित के साथ वास्तविक शारीरिक संपर्क होना आवश्यक होता है। |
| 3. | उदाहरण | किसी को मुक्का मारने की धमकी देना या धमकी भरे ढंग से मुट्ठी उठाना। | किसी को मारना, थप्पड़ मारना या धक्का देना। |

यह तालिका दोनों टॉर्ट (न्यायिक उत्पीड़न) के बीच के प्रमुख अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

**खंड – द**

33A **उत्तर.** 1*6

भारत के कानूनी बाज़ार में स्नातकों के लिए करियर विकल्प

i. मुकदमेबाज़ी (Litigation):

कानून स्नातक भारत की अदालतों में वकील के रूप में अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए वे अनुभवी वकीलों के अधीन कार्य कर सकते हैं या किसी लॉ फर्म या कंपनी के मुकदमेबाज़ी विभाग से जुड़ सकते हैं।

ii. लॉ फर्म में अभ्यास (Law Firm Practice):

लॉ फर्म विभिन्न आकारों और विशेषज्ञता क्षेत्रों में होती हैं। कुछ बुटीक लॉ फर्म केवल बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), कराधान (Tax Law) आदि जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती हैं, वहीं कुछ मध्यम आकार की या पूर्ण सेवा प्रदान करने वाली बड़ी फर्में होती हैं, जिनमें सामान्य कॉर्पोरेट, विलय और अधिग्रहण, रोजगार कानून, कर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बीमा, बौद्धिक संपदा, परियोजना वित्त और अवसंरचना जैसे कई विभाग होते हैं। इसके अतिरिक्त, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग (LPO) कंपनियाँ भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सौदेबाज़ी संबंधी कार्य प्रदान करती हैं।

iii. कॉर्पोरेट क्षेत्र (Corporate Sector):

बड़ी कंपनियों के पास अपने इन-हाउस लीगल डिपार्टमेंट होते हैं। इन-हाउस काउंसल कंपनी को कानूनी सलाह देता है, उसके व्यवसाय की जानकारी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के सभी कार्य कानून के अनुरूप हो रहे हैं। आवश्यकतानुसार, ये बाहरी वकीलों की सहायता भी लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, निवेश संस्थान, बीमा कंपनियाँ, ई-कॉमर्स और मीडिया हाउस जैसे क्षेत्रों में भी विधि स्नातकों की भारी माँग है।

iv. लोक नीति (Public Policy):

वकीलों की भूमिका नीतियों के निर्माण और सलाह देने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कई संगठन नीतियों के निर्माण हेतु कानून स्नातकों को रिसर्च असिस्टेंट के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसे संस्थान भी इस क्षेत्र में अवसर प्रदान करते हैं। कुछ लॉ फर्मों ने भी अपने यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी डिपार्टमेंट स्थापित किए हैं।

v. कानूनी अनुसंधान और अकादमिक क्षेत्र (Legal Research and Academia):

कानून स्नातक अनुसंधान संस्थानों और थिंक टैंक से जुड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी शिक्षण को करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें स्नातकोत्तर (LL.M) की डिग्री अपेक्षित होती है। विश्वविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर के पद होते हैं। साथ ही, विज़िटिंग प्रोफेसर या अतिथि प्रोफेसर की अल्पकालिक नियुक्तियाँ भी उपलब्ध रहती हैं।

vi. गैर-सरकारी संगठन (NGOs):

कई सामाजिक न्याय-उन्मुख एनजीओ कानून स्नातकों को नियुक्त करते हैं। ये छोटे स्तर से लेकर बड़े संगठनों तक होते हैं। कुछ संगठन मुफ़्त कानूनी सहायता, कानूनी शिक्षा और जागरूकता पर काम करते हैं, जबकि अन्य विशिष्ट क्षेत्रों जैसे महिला व बाल अधिकार, पर्यावरण कानून, श्रम कानून, उपभोक्ता अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित होते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कानून आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि सरकारी संस्थानों में भी नौकरियाँ उपलब्ध हैं।

vii. न्यायिक सेवाएँ / क्लर्कशिप (Judicial Services / Clerkships):

उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में जजों के साथ लॉ क्लर्क/रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है, जिसमें केस रिसर्च, कागज़ात का प्रबंधन आदि शामिल हैं। ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन पास करने के बाद, स्नातक अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त होते हैं और अनुभव के साथ उच्च न्यायालयों एवं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकते हैं।

| | | |
|---|---|---|
| | viii. जज एडवोकेट जनरल (JAG) अधिकारी:<br><br>जज एडवोकेट जनरल विभाग (JAG Department) भारतीय सेना की कानूनी शाखा है। यह विभाग सेना से जुड़े अनुशासनात्मक मामलों और मुकदमों को देखता है तथा मानवाधिकारों और विधि के शासन के मामलों में सेना को कानूनी सलाह प्रदान करता है। इस विभाग में सेवा को न्यायिक सेवा के रूप में मान्यता प्राप्त है।<br><br>यह सभी विकल्प भारत में कानून स्नातकों के लिए उभरते अवसरों की एक झलक प्रदान करते हैं, जो उन्हें एक सफल कानूनी करियर बनाने में सहायता करते हैं। | |
| | **अथवा** | |
| 33B | **उत्तर.**<br>भारत, यूनाइटेड किंगडम (UK), और अमेरिका (USA) में विधिक शिक्षा की तुलना<br>**भारत**:<br><br>संरचना:<br>भारत में विधिक शिक्षा दो प्रमुख मार्गों के माध्यम से प्राप्त की जाती है—एक पाँच वर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम (BA LLB) जो बारहवीं के बाद शुरू होता है, और दूसरा तीन वर्षीय LLB पाठ्यक्रम जो स्नातक डिग्री के बाद किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों के बाद व्यावहारिक प्रशिक्षण या इंटर्नशिप आवश्यक होती है।<br><br>पाठ्यक्रम:<br>पाठ्यक्रम का नियमन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा किया जाता है और इसमें संविधान कानून, आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया, पारिवारिक कानून, पर्यावरण कानून आदि विषय शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम का मुख्य ज़ोर सैद्धांतिक ज्ञान पर होता है जबकि शैक्षणिक चरण के दौरान व्यावहारिक अनुभव सीमित होता है।<br><br>पेशेवर आवश्यकताएँ:<br>डिग्री पूर्ण करने के बाद, छात्रों को ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE) पास करनी होती है ताकि वे भारत में वकालत कर सकें। भारत में विधि व्यवसाय का नियमन बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है।<br><br>**यूनाइटेड किंगडम (UK):**<br><br>संरचना:<br>UK में विधिक शिक्षा तीन वर्षीय स्नातक डिग्री (LLB) से शुरू होती है, जिसके बाद एक वर्ष का व्यावसायिक पाठ्यक्रम होता है—बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स (BPTC) अगर छात्र बैरिस्टर बनना चाहते हैं, या लीगल प्रैक्टिस कोर्स (LPC) अगर वे सॉलिसिटर बनना चाहते हैं। गैर-कानूनी स्नातकों के लिए ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ (GDL) का विकल्प भी उपलब्ध है। | 2*3 |

पाठ्यक्रम:
यहाँ पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक नींव और व्यावहारिक अनुप्रयोग दोनों पर बल दिया जाता है। प्रमुख विषयों में अनुबंध कानून, टॉर्ट कानून (हानि कानून), और आपराधिक कानून शामिल हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के दौरान छात्र अपनी रुचि के अनुसार विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं।

पेशेवर आवश्यकताएँ:
व्यावसायिक कोर्स के बाद, उम्मीदवारों को बैरिस्टर बनने के लिए एक वर्ष की प्यूपिलेज़ या सॉलिसिटर बनने के लिए ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है। यहाँ विधि व्यवसाय का नियमन Bar Council of England and Wales तथा Solicitors Regulation Authority करती हैं।

**संयुक्त राज्य अमेरिका (USA):**

संरचना:
अमेरिका में विधिक शिक्षा का मार्ग विशिष्ट होता है। सबसे पहले चार वर्षीय स्नातक डिग्री की जाती है, उसके बाद तीन वर्षीय ज्यूरिस डॉक्टर (JD) डिग्री प्राप्त की जाती है। लॉ स्कूल में प्रवेश के लिए LSAT (Law School Admission Test) उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

पाठ्यक्रम:
JD पाठ्यक्रम में संविधान कानून, अनुबंध कानून, टॉर्ट्स, सिविल प्रक्रिया जैसे मूल विषय शामिल होते हैं, साथ ही कॉर्पोरेट कानून, पर्यावरण कानून, और बौद्धिक संपदा जैसे वैकल्पिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं। व्यावहारिक कौशल को सुदृढ़ करने के लिए क्लीनिक, एक्सटर्नशिप और मूट कोर्ट की व्यवस्था होती है।

पेशेवर आवश्यकताएँ:
JD डिग्री प्राप्त करने के बाद, स्नातकों को उस राज्य की बार परीक्षा पास करनी होती है जहाँ वे वकालत करना चाहते हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग बार परीक्षा होती है, और इसे पास करने के बाद ही उस राज्य में वकालत की जा सकती है। अमेरिका में विधिक व्यवसाय का नियमन संबंधित राज्य की बार एसोसिएशन करती है।

हालाँकि भारत, UK और USA में विधिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को विधि व्यवसाय के लिए तैयार करना है, लेकिन शैक्षणिक ढाँचा, पेशेवर मानदंड, और व्यावहारिक प्रशिक्षण के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर हैं। इन तीनों देशों की विधिक शिक्षा अपने सामाजिक, कानूनी और संस्थागत ढांचे के अनुसार विकसित हुई है।

| | | |
|---|---|---|
| 34. | **उत्तर.**<br>a. अनुच्छेद 22 – गिरफ़्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण:<br>अनुच्छेद 22 गिरफ़्तारी और निरोध के मामलों में निम्नलिखित तरीकों से सुरक्षा प्रदान करता है:<br>• किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करके हिरासत में लेने से पहले उसे गिरफ़्तारी के कारण बताए जाने चाहिए।<br>• गिरफ़्तार और निरुद्ध व्यक्ति को अपने इच्छानुसार किसी विधिक अधिवक्ता से परामर्श करने और अपनी रक्षा करवाने का अधिकार है।<br>• गिरफ़्तारी के बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यात्रा में लगा समय इस 24 घंटे की अवधि में नहीं गिना जाता है।<br>• कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।<br>b. उपलब्ध संवैधानिक उपचार:<br>इस स्थिति में संवैधानिक उपचार का माध्यम "रिट अधिकारिता" (Writ Jurisdiction) होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। | 1+4+1 |
| 35A | **उत्तर.**<br>"नो फॉल्ट दायित्व" (No Fault Liability) का अर्थ और भारत में इसकी प्रासंगिकता<br>फॉल्ट-आधारित दायित्व (Fault-Based Liability) में, वादी (claimant) के कानूनी अधिकार का उल्लंघन प्रतिवादी (defendant) की गलती के कारण होता है, और इस कारण प्रतिवादी को हर्जाना (compensation) देना पड़ता है।<br>हालांकि, कुछ स्थितियों में प्रतिवादी को तब भी हर्जाना देना होता है, जब उसने स्वयं वादी के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया हो, परन्तु वादी का अधिकार फिर भी उल्लंघन हुआ हो। इस प्रकार की स्थिति को "नो फॉल्ट दायित्व" कहा जाता है।<br>संक्षेप में, बिना किसी दोष के उत्पन्न होने वाला दायित्व नो फॉल्ट दायित्व कहलाता है।<br>इसमें दो प्रकार की दायित्व शामिल होती हैं:<br>• सख्त दायित्व (Strict Liability)<br>• पूर्ण दायित्व (Absolute Liability)<br>जल वॉटरवर्क्स कंपनी (Jal Waterworks Company) का दायित्व पूर्ण दायित्व (Absolute Liability) की श्रेणी में आता है, भले ही कंपनी की ओर से कोई लापरवाही (negligence) न हुई हो, फिर भी टेक चंद की संपत्ति को हुए नुकसान के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी। यह निर्णय एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (M.C. Mehta Case) के संदर्भ में देखा गया है। | 4+2 |

| | | |
|---|---|---|
| | भारत में पूर्ण दायित्व सिद्धांत की उत्पत्ति:<br>भारत में पूर्ण दायित्व (Absolute Liability) का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस समय प्रस्तुत किया गया था, जब दो बड़ी घटनाओं में फैक्ट्रियों से गैस लीक होने के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों घायल हुए।<br><br>मुख्य सिद्धांत:<br>यदि कोई उद्यम (enterprise), जो खतरनाक या स्वभावतः हानिकारक उद्योग में संलग्न है और जिसका संचालन वहाँ काम करने वाले लोगों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो उस उद्यम की समुदाय के प्रति एक पूर्ण और गैर-हस्तांतरित कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके खतरनाक कार्यों के कारण किसी को भी कोई हानि न पहुँचे। ऐसे उद्योग को अत्यंत उच्च स्तर की सुरक्षा मानकों के साथ संचालन करना चाहिए। यदि इसके बावजूद कोई हानि होती है, तो उद्यम को पूर्ण रूप से हर्जाना देना होगा, और यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि उसने सभी सावधानियाँ बरती थीं या उसके द्वारा कोई लापरवाही नहीं हुई थी।<br><br>उद्योग को निम्नलिखित बचाव (defence) की अनुमति नहीं होगी:<br>• ईश्वर की इच्छा (Act of God)<br>• तीसरे व्यक्ति का कार्य (Act of Stranger)<br>• सभी सुरक्षा उपाय अपनाने का दावा<br><br>पूर्ण दायित्व के मूल तत्व निम्नलिखित हैं:<br>1. उद्यम (Enterprise) — जिसमें व्यापारिक उद्देश्य हो।<br>2. खतरनाक या स्वभावतः हानिकारक गतिविधि (Hazardous or Inherently Dangerous Activity)<br>3. हानिकारक पदार्थ का बाहर निकलना आवश्यक नहीं है (Escape is not necessary) — दायित्व फिर भी बनता है।<br><br>यह सिद्धांत भारत में सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान करता है। | |
| | **अथवा** | |
| 35B | **उत्तर.**<br><br>टॉर्ट (Tort) के अंतर्गत लापरवाही और कर्तव्य के उल्लंघन का सिद्धांत<br>(I) लापरवाही (Negligence) को उस कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन न बरतने के कारण नुकसान हुआ। | 2+4 |

सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रतिवादी (wrong-doer or defendant) ने ऐसी असावधानी दिखाई जिससे वादी (victim or claimant) को हानि पहुँची और उसके हितों को क्षति हुई।

(II) हाँ, राहुल सिटी पॉइंट प्लाज़ा (City Point Plaza) के खिलाफ लापरवाही के टॉर्ट (Tort of Negligence) के तहत न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है।
यह मामला Donoghue v. Stevenson जैसे प्रकरण के आलोक में देखा जा सकता है, जहाँ सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता की लापरवाही के कारण वादी को बीमारी हुई थी।
सामान्यतः, यह सिद्ध करने के लिए कि प्रतिवादी लापरवाह था, वादी को तीन बिंदुओं को सिद्ध करना होता है:

1. प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का दायित्व (Duty of Care) था;
2. प्रतिवादी ने उस दायित्व का उल्लंघन किया;
3. उस उल्लंघन के कारण वादी को हानि (Harm) हुई।

---

**सावधानी बरतने का दायित्व (Duty of Care):**
Donoghue v. Stevenson में इंग्लैंड की अदालत ने यह निर्णय दिया था कि निर्माता (Stevenson) ने सॉफ्ट ड्रिंक (ginger beer) में मरी हुई घोंघा की उपस्थिति के कारण वादी (Donoghue) को बीमार कर दिया।

अदालत ने कहा कि उत्पाद निर्माता उन लोगों के प्रति सावधानी बरतने का दायित्व रखते हैं, जिन पर उनके उत्पाद का प्रभाव पड़ सकता है और जिन्हें *'यथासंभव अनुमानित'* (कारण ably foreseeable) हानि हो सकती है।

City Point Plaza का अपने ग्राहकों जैसे कि राहुल के प्रति सावधानी बरतने का दायित्व बनता था, क्योंकि वह मॉल में सामान्यतः ग्राहक बनकर आया था।
इसलिए—सावधानी का दायित्व उन सभी व्यक्तियों के प्रति होता है, जिन्हें यथासंभव हानि पहुँचने की आशंका होती है।

---

**सावधानी के दायित्व का उल्लंघन (Breach of Duty of Care):**
जब यह प्रमाणित हो जाए कि सावधानी बरतने का दायित्व था, तब वादी को यह सिद्ध करना होता है कि प्रतिवादी ने उस दायित्व का पालन उचित मानक (standard of कारणableness) के अनुसार नहीं किया।

Donoghue v. Stevenson में न्यायालय ने कहा कि उत्पादकों को उपभोक्ताओं के प्रति उचित सावधानी बरतनी चाहिए।
CityPoint Plaza में एक कर्मचारी ने फव्वारे के पास फर्श की सफाई की, पर "गीली फर्श" (Wet Floor) का संकेत नहीं लगाया।
यह स्पष्ट रूप से सावधानी के दायित्व का उल्लंघन था।

| | | |
|---|---|---|
| | **वादी को हुई हानि (Harm to the Claimant):**<br><br>Donoghue v. Stevenson के प्रकरण में वादी को बीमारी का सामना करना पड़ा जो कि उत्पाद निर्माता की लापरवाही से हुआ था।<br>इसी प्रकार, राहुल को चोट लगी जिसके कारण सर्जरी, फिजिकल थेरेपी, और एक महीने की छुट्टी लेनी पड़ी। इसके चलते उसे आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा।<br>इसलिए यह भी स्पष्ट है कि राहुल को प्रत्यक्ष हानि हुई।<br><br>राहुल का मामला लापरवाही के टॉर्ट (Tort of Negligence) के तीनों तत्वों को पूरा करता है—कर्तव्य था, उसका उल्लंघन हुआ, और परिणामस्वरूप नुकसान हुआ। इस आधार पर राहुल न्यायालय में दावा कर सकता है और मुआवज़े की मांग कर सकता है। | |
| 36. | **उत्तर.**<br><br>व्यापार संगठनों के रूप और उनकी देयता<br><br>---<br><br>**(i) एकल स्वामित्व (Sole Proprietorship):**<br>एकल स्वामित्व एक लोकप्रिय और सरल व्यापार संगठन का रूप है, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए यह प्रारंभिक वर्षों में सबसे उपयुक्त होता है।<br>एकल स्वामित्व उस व्यापार संगठन को कहते हैं जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण में होता है।<br>"Sole" का अर्थ है "केवल" और "Proprietor" का अर्थ है "स्वामी", अर्थात एकल स्वामी वही है जो व्यापार का एकमात्र मालिक होता है।<br>इस प्रकार का व्यापार शुरू करना और समाप्त करना आसान होता है क्योंकि इसमें सरकार के नियमों की अधिक बाध्यता नहीं होती।<br>नुकसान: यदि व्यापार में घाटा होता है तो रवि को अपने व्यक्तिगत बचत या संपत्ति को खोने का खतरा हो सकता है क्योंकि वह स्वयं सभी जोखिमों का वहन करता है।<br><br>---<br><br>(**ii) एक व्यक्ति कंपनी (One Person Company - OPC):**<br>कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(62) के अनुसार, "एक व्यक्ति कंपनी" वह कंपनी है जिसका केवल एक सदस्य होता है।<br>यह एक नया कानूनी प्रावधान है जो उन उद्यमियों की सहायता के लिए लाया गया है जो अकेले कंपनी के स्वामी और प्रबंधक बनना चाहते हैं।<br>लाभ: मीरा की व्यक्तिगत संपत्तियाँ व्यापारिक ऋणों या देनदारियों से सुरक्षित रहती हैं। व्यापार का कोई भी कर्ज उसकी निजी संपत्ति को प्रभावित नहीं करेगा। | 2+2+2 |

| | | |
|---|---|---|
| | (**iii) सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership - LLP):**<br>सीमित देयता भागीदारी (LLP) एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है जिसे LLP अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत किया जाता है।<br>यह एक ऐसा व्यापारिक ढांचा है जिसमें सीमित देयता और साझेदारी की लचीलापन दोनों का लाभ मिलता है।<br>सदस्य आपसी समझौते के आधार पर अपने आंतरिक संचालन को संगठित कर सकते हैं। यह मॉडल उद्यमियों, पेशेवरों, सेवा प्रदाताओं, और वैज्ञानिक-तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं के लिए उपयुक्त है।<br>यह लघु उद्योगों और वेंचर कैपिटल निवेश के लिए भी बेहतर विकल्प माना जाता है।<br>लाभ: विक्रम और आयशा केवल अपने निवेश की सीमा तक कंपनी के कर्जों के लिए उत्तरदायी होंगे।<br>उनकी व्यक्तिगत संपत्तियाँ जोखिम में नहीं होंगी, अर्थात व्यापार के कर्ज से उनके निजी घर, जमीन या बैंक बैलेंस प्रभावित नहीं होंगे। | |